॥

# महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड विश्वविद्यालय, बरेली
# MAHATMA JYOTIBA PHULE ROHILKHAND UNIVERSITY, BAREILLY

पत्रांकः एम.जे.पी.रू.वि./कु.स.का./2022/330 दिनांकः 09.01.2022

## कार्यालय –ज्ञाप

दिनांक 08.01.2022 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत आचार संहिता लागू की गई है। उपरोक्त के दृष्टिगत सामूहिक रूप में सम्मिलित होने, रैली इत्यादि पर रोक लगाई गई है। सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 17.12.2021 (कार्मिक अनुभाग–4 के पत्रांक संख्या–3–ई.एम/2012/क–4/2021) के द्वारा लोकहित में उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुये 06 मास की अवधि के लिये हड़ताल निषिद्ध है। आप अवगत है कि विश्वविद्यालय के दिनांक 08.01.2022 के पत्रांक एम.जे.पी.रू.वि./कु.स.का./2022/327 के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन की कोविड–19 एस0ओ0पी0 (मानक संचालन प्रक्रिया) के अनिवार्य अनुपालन के दिशा–निर्देश उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, अनुभाग–3 के पत्रांक संख्या–66/सत्तर–3–2022–08(20)/2020 दिनांक 08 जनवरी, 2022 के क्रम में जारी किये जा चुके है।

उपरोक्त के संदर्भ में विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि यदि कोई शिक्षक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी उपरोक्त अधिसूचना/आचार संहिता/कोविड–19 प्रोटोकाल के उल्लघंन का दोषी पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

कुलसचिव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
2. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, बरेली।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय परिसर।
4. वित्त अधिकारी।
5. परीक्षा नियंत्रक।
6. मीडिया प्रभारी।
7. सहायक कुलसचिव (प्रशासन/परीक्षा)
8. निजी सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
9. प्रभारी, वेबसाइट।
10. वैयक्तिक सहायक कुलसचिव।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन

कार्मिक अनुभाग-4

संख्या-3-ई0एम0/2012/का-4-2021

लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2021

------

**अधिसूचना**

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए हड़ताल, निम्नलिखित में निषिद्ध करती हैं:-

(1) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्य-कलापों से सम्बन्धित किसी लोक सेवा;

(2) राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा।

2- पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन राज्यपाल अग्रतर निदेश देती हैं कि यह अधिसूचना, गजट में और राज्य में प्रसार वाले कम से कम दो हिन्दी एवं अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

आज्ञा से,

(डा0 देवेश चतुर्वेदी)

अपर मुख्य सचिव

Scanned with CamScanner

**शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध**

**संख्या- 66 /सत्तर-3-2022-08(20)/2020**

प्रेषक,

शमीम अहमद खान,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1 निदेशक,
उच्च शिक्षा उ0प्र0,
प्रयागराज।

2 कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,
उ0प्र0 शासन।

3 समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनाँक 08 जनवरी, 2022**

विषय- कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या-3111/सत्तर-3-2021-08(20)/2020 दिनांक 28.12.2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध मे विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गए है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षण संस्थान भौतिक रूप से दिनांक 10.01.2022 से 16.01.2022 तक बन्द रहेंगे तथा पठन-पाठन कार्य ऑनलाइन संचालित किया जायेगा।

3- इस अवधि में पूर्व से निर्धारित/गतिमान परीक्षाये यथावत संचालित होती रहेंगी। कोविड-19 एस0ओ0पी0 (मानक संचालन प्रक्रिया) का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध मे समय-समय पर निर्गत अन्य दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(शमीम अहमद खान)
सचिव।

**संख्या- 66 (1)/सत्तर-3-2022, तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री उ0प्र0।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री उच्च शिक्षा उ0प्र0।
3- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग उ0प्र0 शासन।
5- कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(हरेन्द्र कुमार सिंह)
उप सचिव।

Scanned with CamScanner